



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 967) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 175 दिनांक 11 अगस्त 2026—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ संहिता की धारा 35 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
2	सभी जिला पदाधिकारी	अपने जिला के क्षेत्राधिकार
3	अपर श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
4	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सम्पूर्ण बिहार
5	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	सम्पूर्ण बिहार (संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)
6	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
7	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
8	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
9	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
10	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
11	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
12	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
13	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
14	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
15	उप श्रमायुक्त, सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज
16	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर
17	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	रोहतास, कैमूर, बक्सर
18	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली
19	सहायक श्रमायुक्त, सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज
20	सहायक श्रमायुक्त, गया	गया, नवादा
21	सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
22	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
23	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया
24	सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
25	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
26	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर
27	सहायक श्रमायुक्त, बेगूसराय	खगड़िया, बेगूसराय
28	सहायक श्रमायुक्त, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल
29	श्रम अधीक्षक अधिनियम	पटना, गयाजी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण
30	श्रम अधीक्षक	नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीवान, गोपालगंज
31	सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)
32	सभी कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)
33	सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)

2. सभी निरीक्षक-सह-सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 6 से 30 में उल्लिखित पदाधिकारियों को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा 79 से 91 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियाँ निहित होंगी।

4. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026-176/अ०सं०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 176, एस० ओ० 175 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026-177/अ०सं०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 175 dated 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint for the purposes of the Code as **Inspector-cum-Facilitators** to exercise the powers conferred under Section 35 of the Code, in relation to such establishments situated within the areas specified in column (3) against the officers mentioned in column (2) of the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Table

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Labour Commissioner, Bihar	Whole Bihar
2	District Magistrate	Jurisdiction of concerned district
3	Additional Labour Commissioners	Whole Bihar
4	Joint Labour Commissioners	Whole Bihar
5	Chief Inspector of Factories, Bihar	Whole Bihar (For Part VII of Chapter XI of the Code)
6	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
7	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
8	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
9	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
10	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
11	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
12	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
13	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
14	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champaran
15	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
16	Assistant Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
17	Assistant Labour Commissioner, Dalmiyanagar	Rohtas, Kaimur, Buxar
18	Assistant Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, East Champaran, Vaishali
19	Assistant Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
20	Assistant Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Nawada
21	Assistant Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
22	Assistant Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
23	Assistant Labour Commissioner, Katihar	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
24	Assistant Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
25	Assistant Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
26	Assistant Labour Commissioner, Betia	Sitamarhi, Sheohar, West Champarn
27	Assistant Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
28	Assistant Labour Commissioner, Aurangabad	Aurangabad, Jehanabad, Arwal,
29	Labour Superintendent Act	Patna, Gayaji, Munger, Bhagalpur, Saharsa, Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur, Saran
30	Labour Superintendent	Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui, Begusarai, Khagaria, Banka, Supaul, Madhepura, Araria, Katihar, Kishanganj, Madhubani, Samastipur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Siwan, Gopalganj
31	All Deputy Chief Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction (For Part VII of Chapter XI of the Code)
32	All Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction (For Part VII of Chapter XI of the Code)
33	All Labour Enforcement Officer	within the limits of its jurisdiction (For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)

2. All Inspector-cum-Facilitators shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.

3. The officers specified at Serial Nos. 6 to 30 of the said Notification shall be vested with the powers of Inspector-cum-Facilitator, except the powers under Sections 79 to 91 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

4. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-176/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 967-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>